



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60464-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 4201/2026

कृपा शंकर श्रीवास्तव और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: बबीता शुक्ला, राम प्रकाश शुक्ला

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रकाश शुक्ला और राज्य/प्रतिवादी 1 और 2 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं।
2. अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. याचिकाकर्ता - कृपा शंकर श्रीवास्तव और 3 अन्य ने प्रथम सूचनादाता/प्रतिवादी-3, रामरथी वर्मा द्वारा दिनांक 06.12.2025 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती देते हुए इस आपराधिक विविध रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में याचिका दायर की है। यह रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 065/2025 के रूप में पुलिस स्टेशन-कैंट, जिला-वाराणसी में दर्ज की गई थी।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जो अब रिकॉर्ड पर सामने आए हैं, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आक्षेपित एफ.आई.आर. के आधार पर आपराधिक अभियोजन विधिवत और तथ्यात्मक रूप से अपोषणीय है। अतः, आक्षेपित एफ.आई.आर. को इस न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

5. उपरोक्त दलील के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आक्षेपित एफ.आई.आर. भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत दर्ज की गई है। हालांकि, किसी अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत एक साथ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त के मद्देनजर, आक्षेपित एफ.आई.आर. को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसलिए, इसे इस न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना चाहिए। अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है: (i) शरीफ अहमद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन 726, (ii) दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) 10 एससीसी 690 और (iii) ऋखब बिरानी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 829। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करेंगे कि वर्तमान रिट याचिका इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य है।

6. इसके विपरीत, राज्य/प्रतिवादी 1 और 2 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान ए.जी.ए. ने इस रिट याचिका का पुरजोर विरोध किया है। विद्वान ए.जी.ए. के अनुसार, एफ.आई.आर. धारा 420 और 406 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज की गई है। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान एकत्रित सामग्री से यह निर्धारित होगा कि याचिकाकर्ता धारा 420 या 406 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपपत्र के पात्र हैं या नहीं। इसलिए, इस मध्यवर्ती चरण में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका के समर्थन में दिए गए तर्क लागू नहीं होते हैं। विद्वान ए.जी.ए. ने फिर न्यायालय को एफ.आई.आर. के मूल दस्तावेज की ओर ध्यान दिलाया और उसके आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को 25,20,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई थी। अतः, उनका निवेदन है कि प्रथम सूचनादाता/प्रतिवादी-3 द्वारा किए गए भुगतान का तरीका अभिलेखों से स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है। यद्यपि, याचिकाकर्ताओं द्वारा बेची गई भूमि का कब्जा अभी तक प्रथम सूचनादाता/प्रतिवादी-3 को नहीं सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, एफ.आई.आर. में यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने हिस्से से अधिक भूमि पर विक्रय विलेख निष्पादित किया है, अतः एफ.आई.आर. में लगाया गया आरोप विक्रय विलेख में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में विक्रेता के विक्रय विलेख निष्पादित करने के अधिकार से संबंधित है, न कि विक्रय विलेख की

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विषयवस्तु से। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, माननीय ए.जी.ए. का निवेदन है कि इस रिट याचिका में न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्त तथ्यों के सामने आने पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता इसका खंडन नहीं कर सके।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य/प्रतिवादी 1 और 2 के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनने के बाद, अभिलेखों का अवलोकन करने और ए.जी.ए. द्वारा इस रिट याचिका के विरोध में उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हम पाते हैं कि ये आपत्तियां अभिलेखों से स्पष्ट रूप से सिद्ध होती हैं। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय द्वारा इस रिट याचिका में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

9. उपरोक्त के मद्देनजर, यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

10. इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

11. यदि कोई अंतरिम आदेश है, तो उसे निरस्त किया जाता है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव मिश्रा, न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026

वाईके

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"